एकल बिंदु पंजीकरण स्कीम

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न और उत्तर

प्रश्न 1.	**भारत सरकार ने 'केंद्र सरकार सामान खरीद कार्यक्रम' कब आरंभ किया?**
उत्तर :	भारत सरकार ने वर्ष 1955 में केंद्र सरकार सामान खरीद कार्यक्रम आरंभ किया था।
प्रश्न 2.	**एकल बिंदु पंजीकरण स्कीम को भारत सरकार द्वारा कब तैयार किया गया और एकल बिंदु पंजीकरण स्कीम का उद्देश्य क्या है?**
उत्तर :	एकल बिंदु पंजीकरण स्कीम वर्ष 1976 में लागू की गई और इसका उद्देश्य बहु पंजीकरण से बचना है।
प्रश्न 3.	**सरकारी सामान खरीद कार्यक्रम के अधीन एनएसआईसी में सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को पंजीकृत करने से क्या लाभ होंगे ?**
उत्तर :	इससे निम्नलिखित लाभ हैं- 1. टेंडर सेट नि:शुल्क मिलना। 2. अग्रिम धन जमा (ईएमडी) का भुगतान करने से छूट 3. एल 1+15 प्रतिशत के कीमत बैंड के अंदर कीमत की दर देते समय टेंडर में भाग लेने वाली सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को ऐसी स्थिति में अपनी कीमत को एल 1 तक लाकर मांग के 25 प्रतिशत तक के भाग की आपूर्ति करने की भी अनुमति देना, यदि एल 1 में कोई भी सूक्ष्म एवं लघु उद्यम न हो। प्रत्येक केंद्रीय मंत्रालय/विभाग/सरकारी क्षेत्र के उपक्रम अपने वार्षिक खरीद के लक्ष्य कम से कम 25 प्रतिशत की कुल वार्षिक खरीद सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों द्वारा उत्पादित उत्पादों या दी जाने वाली सेवाओं से करने का लक्ष्य रखेंगे। सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों द्वारा उत्पादित उत्पादों या दी जाने वाली सेवाओं के 25 प्रतिशत की वार्षिक आवश्यकता में से 4 प्रतिशत की खरीद अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के स्वामित्व वाली यूनिटों से और 3 प्रतिशत की खरीद महिला उद्यमों के स्वामित्व वाली यूनिटों से की जाएगी। 4. 358 मदें केवल सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों से खरीदे जाने के लिए आरक्षित हैं।
प्रश्न 4.	**एकल बिंदु पंजीकरण स्कीम के अधीन एनएसआईसी में पंजीकरण करवाने का पात्र कौन है?**
उत्तर :	सूक्ष्म एवं लघु उद्यम, एकल बिंदु पंजीकरण स्कीम के अधीन एनएसआईसी में पंजीकरण करवाने के पात्र हैं।

प्रश्न 5.	**एनएसआईसी की एकल बिंदु पंजीकरण स्कीम के अधीन कैसे और किस सूक्ष्म एवं लघु उद्‌यम को पंजीकरण के लिए आवेदन-पत्र देना चाहिए?**
उत्तर :	सूक्ष्म एवं लघु उद्‌यम की यूनिट एनएसआई की एकल बिंदु पंजीकरण स्कीम की वेबसाइट www.nsicspronline.com पर ऑनलाइन आवेदन-पत्र दे सकती है।
प्रश्न 6.	**एकल बिंदु पंजीकरण स्कीम के अधीन पंजीकरण के लिए सूक्ष्म एवं लघु उद्‌यमों का तकनीकी निरीक्षण करने वाली निरीक्षण एजेंसियों के नामों का उल्लेख करें और इस बात का भी उल्लेख करें कि उनके निरीक्षण के प्रभार क्या हैं?**
उत्तर :	एकल बिंदु पंजीकरण स्कीम के अधीन निरीक्षण के लिए तकनीकी निरीक्षण एजेंसियों को सूचीबद्ध किया जाता है। कृपया विस्तृत विवरण के लिए कृपया हमारी वेबसाइट www.nsic.co.in देखें।
प्रश्न 7	**एनएसआईसी अपनी एकल बिंदु पंजीकरण स्कीम के अधीन नया पंजीकरण करवाने और पंजीकरण का नवीकरण/ संशोधन करने के लिए सूक्ष्म एवं लघु उद्‌यमों से कितना शुल्क लगाता है?**
उत्तर :	पंजीकरण शुल्क; पंजीकरण, नवीनीकरण, किसी अन्य संशोधन आदि के लिए सूक्ष्म और लघु उद्‌यम की नवीनतम लेखापरीक्षित तुलन पत्र (बैलेंस शीट) के अनुसार टर्नओवर पर आधारित है। शुल्क का ढांचा निम्नलिखित तालिका में दिया गया है :

	श्रेणी	**शुल्क**
I	**<u>सूक्ष्म एवं लघु उद्‌यमों के नए पंजीकरण के लिए शुल्क:</u>** **(ए) कुल बिक्री (टर्नओवर) 100 लाख रुपये तक** **(बी) 100 लाख रुपये से अधिक की कुल बिक्री (टर्नओवर)**	**(ए) कुल बिक्री (टर्नओवर) 100 लाख रुपये तक:-** 1) सूक्ष्म उद्‌यमों के लिए : रुपये 3000/- 2) लघु उद्‌यमों के लिए : रुपये 5000/- **(बी) 100 लाख रुपये से अधिक की कुल बिक्री (टर्नओवर):-** 1) सूक्ष्म उद्‌यमों के लिए : रुपये 3000/- प्लस रुपये 1500/- प्रत्येक 100 लाख के अतिरिक्त कुल बिक्री (टर्नओवर) के लिए 2) लघु उद्‌यमों के लिए : रुपये 5000/- प्लस रुपये 2000/- प्रत्येक 100 लाख के अतिरिक्त कुल बिक्री (टर्नओवर) के लिए **(सभी श्रेणियाँ के लिए शुल्क की अधिकतम सीमा रु. 1 लाख होगी)** (कर यथा लागू)

	II	(ए) भंडार में संशोधन जारी करने के लिए शुल्क (गुणात्मक और मात्रा); मौद्रिक सीमा में परिवर्तन या प्रमाणपत्र में कोई अन्य संशोधन जारी करने के लिए शुल्क। (बी) एसपीआरएस के नवीनीकरण के पंजीकरण के लिए शुल्क (प्रत्येक दो वर्ष) **(सी)** नवीनीकरण और संशोधन एक साथ लागू होने पर शुल्क	क्रमशः सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए ऊपर I में प्रस्तावित शुल्क का 50% (50000 रुपये की अधिकतम सीमा के साथ) (कर यथा लागू)
	➢ उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थित सूक्ष्म एवं लघु उद्यम पंजीकरण शुल्क पर 20% छूट के हकदार होंगे (तकनीकी निरीक्षण के लिए शुल्क वही रहेगा)		
	➢ नवीनीकरण पर नामांकन प्रमाणपत्र की समाप्ति के बाद एक महीने की छूट अवधि नवीनीकरण मामलों में लागू शुल्क के साथ उपलब्ध है। अनुग्रह अवधि की समाप्ति के बाद लेकिन पंजीकरण की समाप्ति से दो साल पहले नवीनीकरण के लिए आवेदन करने पर, नए पंजीकरण में लागू शुल्क लिया जाएगा।		
	➢ उपरोक्त तालिका में उल्लिखित पंजीकरण शुल्क में निरीक्षण एजेंसी द्वारा लगाए गए निरीक्षण शुल्क शामिल नहीं हैं। निरीक्षण एजेंसी द्वारा तय किए गए ऐसे शुल्क इकाई द्वारा वहन किए जाते हैं।		

प्रश्न 8 .	**क्या एनएसआईसी सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को अनंतिम जीपी पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी करता है, यदि हां, तो इसका मापदंड क्या है?**
उत्तर :	जी हां। एनएसआईसी, एसपीआरएस के अधीन उन सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को अनंतिम सूचीकरण प्रमाण-पत्र जारी करता है, जिन्होंने उत्पादन शुरू कर दिया हो, लेकिन जिनके पास पिछले एक वर्ष का लेखापरीक्षित तुलन-पत्र नहीं है।
प्रश्न 9.	**एसपीआरएस के अधीन अनंतिम पंजीकरण में कितनी आर्थिक सीमा तय की जाती है?**
उत्तर :	पांच लाख।
प्रश्न 10.	**एमएसएमईडी अधिनियम कब लागू किया गया?**
उत्तर :	वर्ष 2006 में।
प्रश्न 11.	**एमएसएमईडी अधिनियम में सूक्ष्म उद्यमों के लिए संयंत्र और मशीनरी में निवेश करने की निर्धारित सीमा क्या है?**
उत्तर :	संयंत्र और मशीनरी या उपस्करों में 1 करोड़ रुपये से अधिक निवेश नहीं किया जाता है और उसका कुल कारोबार 5 करोड़ रुपये से अधिक का नहीं हो।
प्रश्न 12.	**एमएसएमईडी अधिनियम में लघु उद्यमों के लिए संयंत्र और मशीनरी में निवेश करने की निर्धारित सीमा क्या है?**
उत्तर :	संयंत्र और मशीनरी या उपस्करों में 10 करोड़ रुपये से अधिक निवेश नहीं किया जाता है और उसका कुल कारोबार पचास करोड़ रुपये से अधिक का नहीं हो।

प्रश्न 13.	**क्या सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसएमई) संबंधी सरकारी खरीद नीति आदेश 2012 में निर्धारित लाभ प्राप्त करने के लिए सेवा उद्यम पात्र हैं?**
उत्तर :	जी हां, सरकारी खरीद आदेश 2012 मे विनिर्माण उद्योग के समान सेवा उद्योग भी समझे जाते हैं
प्रश्न 14.	**क्रेता एजेंसी इस बात का सत्यापन कैसे कर सकती है कि जीपी सूचीकरण प्रमाण-पत्र विधिमान्य है या नहीं?**
उत्तर :	क्रेता एजेंसी एन.एस.आई.सी. की वेबसाइट www.nsic.co.in या www.nsicspronline.com से जीपी सूचीकरण प्रमाण-पत्र का सत्यापन कर सकती हैं।
प्रश्न 15	**सूचीकरण प्रमाण-पत्र की विधिमान्य अवधि क्या है?**
उत्तर :	एसपीआरएस सूचीकरण प्रमाण-पत्र जारी करने की तारीख से दो वर्ष तक विधिमान्य होता है।
प्रश्न 16	**क्या व्यापारी एसपीआरएस के अधीन पंजीकृत किए जा सकते हैं?**
उत्तर :	एनएसआईसी व्यापारियों का पंजीकरण नहीं करता है।
प्रश्न 17	**क्या औषध और दवा विनिर्माण यूनिटों पर भी एसपीआरएस के अधीन पंजीकरण करने के लिए विचार किया जा सकता है?**
उत्तर :	आयुर्वेद, सिद्धा, यूनानी और होम्योपैथी (एएसयू और एच) औषधियों के विनिर्माण कार्य में लगे सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों पर एकल बिंदु पंजीकरण स्कीम के अधीन सूचीकरण करने के लिए विचार किया जाएगा।